



## नार पालिका, अनूपगढ़

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय/वाणिज्यक प्रयोजनों के लिये मूलि पदटों किलोव्ह

जरूरत भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुन आवंटित भू-खण्डों

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 9/6/2010 20 के आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या

संख्या ८००/० को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इकरार के पश्चात सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी

जेर श्री श्रीमती दीवान ब-८-३८ अध्यक्ष नाना सोला टेकी देवी भूलिलालिया  
च/उड प्रथम सहाय्य उपाय, ३१२८४८ जाति

यवसाय स्थिति संस्थान निवासी जार ०३/६-८३ 16 A

में इसके पश्चात पदटेदार कह जेर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले उनके श्री निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी रामिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 6,78,840=०० अखरे ६०१.८५४८ अवंटन उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया

८,८५०=०० पैसे मात्र जी रकम के नियमन शुल्क जो पदटेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद उत्तरी द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पदटेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे

नियमन और पुनः आवंटित करती है जो चक नं. १/८३ मु. नं. २९८/४४८ कि. न. ९/२३७, १२/२२ रपाहिका की ८४८/८३ २३. यो स्थान कुछ ज्ञान योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और

फल गे साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपये वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप ऐ इससे संलग्न खलाया गया है, और जिसे पूर्व रामित्य संबंधी खत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपादारों, संज्ञाओं प्रतिबन्धों, और करारों के अधीन पदटेदार एवं उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा उर्ध्वात् -

भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर न. आवंटन किया गया है। लीज की अवधि ९९ दर्द होगी। नियमन शास्त्र, अनूपगढ़ के कार्यालय में या राज्य करार द्वारा समय-समय पर नियम अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष उक्त प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर ६,७८,८४०=०० रुपये प्रतिवर्षीयी की दर से वर्ष राति ३,३९,४२०=८० रुपये की २५ प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथी तक जमा कराने की दिशा में नियमानुसार देय व्याज राशि वसूल को जावेगी। ३१ मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने १० प्रतिशत की छुट भी देय होगी।

दर्द की अवधि शहरी जमा बन्दी एकमुश्ते जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा/गया। साथ ही उक्त कार ने आदेश क्रमांक प-८ (2) न.वि.वि./३/९९ दिन १५.११.९९ के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के वजाय नियमन राशि ६,७८,८४०=०० रुपये की १५ प्रतिशत की दर से देय होगी। इक उक्त नियमन की जमाबन्दी की निर्धारित अन्तराल में प्रत्येक १५ वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर २५ प्रतिशत दोतर दृष्टि होगी। १५ वर्ष वी अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि में संगणित की जायेगी।

उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कानून वाजिब हो, अंगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के व्यवहार के वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय, से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यापारिक या लोध कराने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-५ (3) न.वि.वि./३/९९ द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तानि नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन योग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबोधित विनियमों के अनुसार कानूनी ही जायेगी।

यदि भूखण्ड ५०० वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण अवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेत बैंक सौइट प्लान कि अनुसार छोड़ने होंगे तथा पालिका के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिये भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धीत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

प्रश्नापन ५०० वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण पालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास कराना होगा।

लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिंड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणात्मकी संस्था/एच एस आवधा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणादाता/संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखकरण।



अधिकारी अधिकारी  
नगरपालिका अनूपगढ़

Q.A.

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने का क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगर पालिका अनुपगढ़ के निम्नों से करवाना होगा ।
9. पटटेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों तो या उन दोनों छोटी किसी भाग को जिसे जो पिछले पद में निर्देशित आशय ; असंगत है बिना सरकार न सरकार के रेसे उधिकारी की लिखित स्टम्प नियुक्त किया गया हो, न तो उपर्योग में लावेगा और न उपर्योग में लाने की अनुमति ही देगा ।
10. घटटेदार द्वारा आवंटन पत्र की शांत एवं पदटे की उपरोक्त शब्दों की पूर्ण पालन की जावेगी । यदि किसी उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, उहित उक्त भूखण्ड विनाश कराश के अधिग्रहण कर लिया जावेगा ।

नोट :- उस भूखण्ड की नियमन राशि  $6,78,840/-$  रुपये वर्ग गज की पंजीकृत राशि  $6,78,840/-$  होती है । अलएव स्टम्प नं  $8961$  संख्या  $9$  वहसियत इस उक्त लगाये जाते हैं ।

कर्तव्य का नाम अनुपगढ़ विस्तृत नाम क्षेत्रफल सहित	पूर्व $330$ फूट पश्चिम $330$ फूट भूखण्ड संख्या $स्टम्प 202$ उत्तर $155$ फूट दक्षिण $155$ फूट योजना का नाम $स्टम्प 202$ समिति का नाम $स्टम्प 202$	सीमा पूर्व पश्चिम पश्चिम पानविहार उत्तर दक्षिण दक्षिण
--	--	--

इसके साथी के रूप में इसके पक्षागारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित रथांते और तारीखों पर प्रत्येक ने उसके दिये हैं ।

सरकार की ओर से

आज सं  $20/10$  के  $21/6/2010$  के दिन<sup>१</sup>  
 श्री ~~कृष्ण ठारा~~ श्री ~~कृष्ण ठारा~~ नाम पालिका अनुपगढ़ अधिकारी, नगरपालिका अनुपगढ़ ने निम्न वीच उपस्थिति में हस्ताक्षर किये ।

साथी :-

1. नाम ~~श्री लक्ष्मण मोहन युक्त~~  
 पिता/पति का नाम ~~श्री लक्ष्मण मोहन युक्त~~  
 व्यवसाय ~~कार्यालय - उत्तरायण~~  
 निवासी स्थान ~~उत्तरपालिका, अनुपगढ़~~

2. नाम  
 पिता/पति का नाम

व्यवसाय

निवासी स्थान

आज दिनांक

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ~~कृष्ण ठारा~~ युक्त उत्तरायण नाम पालिका अधिकारी, खरीददार द्वारा कार्यालय, नगरपालिका अनुपगढ़ में हस्ताक्षर किया गया है।

साथी :-

1. नाम ~~श्री सुरेन्द्र रेट्टे यिदु~~  
 पिता/पति का नाम ~~श्री सुरेन्द्र रेट्टे यिदु~~  
 व्यवसाय ~~नौकरी~~

निवासी स्थान ~~न/उनि ७ अनुपगढ़~~

2. नाम ~~श्री रामेश्वर युक्त~~  
 पिता/पति का नाम ~~श्री रामेश्वर युक्त~~

व्यवसाय ~~नौकरी~~

निवासी स्थान ~~न/उनि ७ अनुपगढ़~~

को

पटटेदार

खरीद दार

साथी ~~कृष्ण ठारा~~

साथी ~~कृष्ण ठारा~~

अधिकारी जैशे श्री  
 नगरपालिका अनुपगढ़

नाम पालिका अनुपगढ़